[**Mr. Deputy Chairman** in the Chair]

Resolution Regarding giving Preferential Treatment to Weaker Sections of Society in Appointments to Highest Echelons of Government Services

श्री रबी राय (उड़ीसा) : उपसभापति महोदय, मैं सदन की खिदमत में इस प्रस्ताव को पेश करता हूं कि :

"इस सभा की सम्मति है कि देश मे जाति-विहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करने के लिये सरकारी सेवाओं के उच्चतम पदों में पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, हरिजनों, महिलाओं तथा धार्मिक अल्प-संख्यकों के अन्य पिछड़े वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के मामले में इनको तरजीह दी जानी चाहिये और इसलिये यह सिफारिश करती है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सबसे पहले सरकार को प्रभावी ढंग से तत्काल संवैधानिक परिवर्तन और प्रशासनिक उपाय करने चाहियें ताकि उक्त सेवाओं मे समाज के इन दुर्बल वर्गों के लिये कम से कम 60 प्रतिशत पदों का आरक्षण सुनिश्चित हो सके ।"

उपसभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और मैं इस प्रस्ताव को आपकी खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूं कि इस प्रस्ताव का संबंध इस देश की लगभग 95 प्रतिशत जनता से है । इस प्रस्ताव को आज यहां पर पेश करने के और भी बहुत से कारण हैं जिनके संबंध में मैं थोड़ा-बहुत प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा । आप जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट के पिछले चुनावों के बाद हमारे देश के साधारण जनों में जो चेतना और राजनैतिक जागृति आई है उसकी पृष्ठभूमि में इस प्रस्ताव का और भी महत्व हो जाता है । हमारे देश के अन्दर जो पिछड़ें वर्ग हैं, जो हरिजन, आदिवासी और महिलाएं हैं उनके अंदर पिछले एक वर्ष में एक नई चेतना का संचार हुआ है । आदिकाल से हमारे देश में जाति प्रथा के कारण जिस तरीके से हाथ से काम करने वालों और मेहनत करने वालों को नजर-अंदाज किया गया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है । उन लोगों से कहा गया कि तुम शासक बनने के लायक नहीं हो और तुम सरकार चलाने के योग्य नहीं हो । इस तरह से उनके अंदर एक हीन भावना पैदा की गई । इसी चीज को देखकर मैं आपकी खिदमत में यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूं । मैं समझता हूं कि सारे राष्ट्र को एक साथ एक नयें तरीके से गठित करने के लिए संसद के पिछले आम चुनावों में जो जन-उभाड़ आया है उसकी पृष्ठभूमि में यह प्रस्ताव हमारे लिए बहुत ही अहम हो जाता है ।

श्रीमान्, असल में इस बात को मैं बहुत ही दुःख और दर्द के साथ आपके सामने रख रहा हूं । हमारे देश के अंदर गरीबो और पिछड़ें लोगों की कोई सुनवाई नही हो पा रही है । इसका मुख्य कारण यह है कि इन लोगो के प्रतिनिधि ऊंची जगहों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं । इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है । मैं आपका ध्यान इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ भी दिलाना चाहता हूं क्योंकि हम लोग हिन्दुस्तान के इतिहास के एक पिटें-पिटाये रास्ते पर चल रहेहैं । आप जानते हैं कि प्राचीन समय में हिन्दुस्तान पर अनेक हमलावरों ने आक्रमण किया और हिन्दुस्तानियों को परास्त किया । इतिहासकर इन आक्रमारणो का कारण यह बताते है कि उन दिनों हमारे देश में केन्द्र, की ताकत बहुत कमजोर हो गई थी और इसलिए हिन्दुस्तान पर बारबार विदेशियों ने हमला किया । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के बारबार हमलावरों का शिकार होने का यह भी एक कारण रहा है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारा देश इतने वर्षों तक जो गुलाम रहा उसकी वजह यह थी कि इस देश के साधारण-जनों में राजनैतिक और सामाजिक चेतना की कमी थी । इस देश के साधारण जन राजनीति

[श्री रबी राय]

के प्रति उदासीन रहते थे । अगर आप भारत का डेढ़ हजार वर्ष पुराना इतिहास देखे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश की जो साधारण जनता है, जो शारीरिक श्रम करती है, सम्पत्ति पैदा करती है, धन पैदा करती है और जिसके बिना हमारे समाज का चक्र नही चल सकता है उनको कहा गया कि तुम मिट्टी खोदते हो, तुम शरीर से मेहनत करते हो, इसलिए तुम शुद्र हो । कुछ इतिहासकर कहते है कि शुरू में जाति-प्रथा मे अच्छाइयां थी, लेकिन मुझे उसमें संदेह है । हमारे देश मे यह स्थिति थी कि जब कोई इस तरह के कार्य करता था तो उसको कहा जाता था कि तुम शुद्र बन गये हो क्योंकि तुम शारीरिक श्रम करते हो, मेहनत करते हो, इसलिए ओहदे पर बैठने के लायक नही हो । इस प्रकार से हमारे देश में जातिप्रथा के सिकुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई । इसके विपरीत जो ऊंची जाति के लोग थे, जो मेहनत नही करते थे वे द्विज कहलाये और यही लोग पूरे हिन्दूस्तान के नेता बन गये । समाज के नेता बन गये और सरकार उनके हाथ में चली गई और सारे करोड़ों लोग, जैसाकि मैंने आपको बताया, जो मेहनत करते हैं, उनको नजरअन्दाज किया गया । इसलिये पहली चीज जिस पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं वह है राष्ट्रीय एकता के बारे में । हम कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए। पर आजकल क्या होता है, कुछ मुट्ठी भर लोग, जो शासक वर्ग है वह पूरा फायदा उठाता है । इस शासक वर्ग की पहचान क्या है ? पहली यह कि ये ऊंची जाति के लोग होंगे, दूसरे ये अंग्रेजी में बोलेंगे और पढ़ेंगे और दूसरा मापदण्ड इनका यह है कि 1 हजार से 2 हजार रुपये कम से कम एक महीने में उनके पास आता है । यह तीन माप-दण्ड इस शासक वर्ग के हैं । इसमें दो मापदण्ड भी जो अपना लेता है वह शासक वर्ग का हो जाता है और वह सारे समाज का नेता बन जाता है । इस चीज को मैंने आपके सामने इसलिये रखा कि यह सदियो से पिछड़े लोग, शुद्र और हरिजन तथा महलायें--उन महिलाओं को मैं लेता हूं जो गरीब महिलायें हैं, शुद्र घर की महिलायें हैं, ये भी पिछड़ों मे आते है--उनके अधिकारियों को नजरअन्दाज कर दिया गया । इन सब लोगों को यदि हम गिनेंगे तो यह करीब 95 प्रतिशत लोग होते हैं । परन्तु हम लोग देखते है कि इन लोगों का शासन पर, सरकारी नौकरियों पर, जो प्रतिशत होना चाहिए, उनकी संख्या के आधार पर, वह नही हो पाया है । यह क्यों नही हो पाया है ? यह इसलिये नही हो पाया है क्योंकि योग्यता का मान-दण्ड ऐसा रखा गया है । इसका सामान्य मान-दण्ड यह है कि जो अंग्रेजी नहीं जानता है, जिसे अंग्रेजी नही आती है और अंग्रेजों के जमाने के पहले जिन्हे फारसी या दूसरी भाषा नहीं आती थी, वह नौकरियों में नही आ सकते थे । एक तो भाषा है और दूसरी है जाति का सवाल । तीसरा सवाल है आर्थिक बराबरी का । क्योंकि जो शूद्र होते हैं वह आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए होते हैं । इसलिये मेरा यह कहना है कि यदि सारे राष्ट्र को एक साथ उठाना है, राष्ट्रीय एकता पर हमें जोर देना है तो यह जाति-पाति और भाषा का जो सवाल है उसे पहले हल करना होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में केवल ढाई प्रतिशत लोग ही अंग्रेजी भाषा हैं को बोलते और समझते हैं । इसलिये मेरा जो ऐतराज है, वह इसीलिये है । इसलिये नहीं कि वह विदेशी भाषा है । जब ये दोनों बातें जुड़ जाती हैं, दोनों मिल जाते हैं तो आगे बढ़ने के रास्ते और भी बन्द हो जाते हैं । अंग्रेजी भाषा न जानने वाले इन गरीब जाति, शूद्र जाति के लोगों के मन में सदियों से यह भावना पैदा की गई है कि तुम शासन में जाने के लायक नहीं हो । यही हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है । इसलिये आज जब हम इस तरह के सारे गरीबों, पिछड़ों को उठाना चाहते हैं तो यह जो योग्यता का पुराना

मान-दण्ड है, इसके सिलसिले मे हमको क्रान्तिकारी तब्दीली करनी पड़ेगी । यह मेरा दूसरा प्वाइंट है और मैं आप लोगों के सामने यह चीज रखना चाहता हूं । करीब 20 साल पहले काका कालेलकर कमीशन संविधान के तहत बना था । आपको मालूम है उपसभापति जी कि अभी तक सदन में यह रिपोर्ट नहीं रखी गयी है और उस पर बहस हुई है । काका कालेलकर, जो कि एक गांधीवादी नेता हैं, उनके नेतृत्व मे यह कमीशन गठित किया गया था । पिछले दो दशक से इस पर बहस भी नहीं हुई । जब कि यह 90 प्रतिशत लोगों का सवाल था । इसका 90 प्रतिशत लोगों की सारी जिन्दगी, सारी राजनैतिक और आर्थिक जिन्दगी के साथ सरोकार था, सम्बन्ध था । फिर भी नहीं हुआ । इसलिये मैं कहता हूं कि यह एक बड़ा जबर्दस्त षड्यन्त्र है, जो इस रिपोर्ट को नहीं लाया गया । उच्च जाति, अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग और शासक वर्ग में सदियों से और फिर आजादी के बाद 30 साल से जो लोग रहे, उनके चलते, यह पिछड़े वर्गो के बारे में जो रिपोर्ट काका कालेलकर ने दी थी, उसके बारे में राष्ट्र में जो कोई बहस नहीं हुई और संसद् में कोई बहस नहीं हुई । इस लिए आज मैं आपके सामने और सदन के सामने यह चीज़ रख रहा हूं । जनता सरकार के आने के बाद जनता पार्टी ने लोक सभा चुनाव में अपना जो घोषणा-पत्र दिया था उस में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को तथा सिफारिशों को फिर से देखेंगे और उसके अनुसार 25 से 30% तक सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों को स्थान देंगे । अब फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह एलान किया गया है कि एक कमीशन बनेगा वह यह देखेगा कि काका कालेलकर कमीशन की सिफारिशों को क्यों नजरअंदाज किया गया और नयी स्थिति के संदर्भ में उसको कैसे जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाए । दूसरा सवाल इस संबंध में मेरा यह है कि हमारे दोस्त श्री धनिक लाल जी पिछड़े वर्गों के बारे में सरकारी दृष्टि को साफ करें कि किस को हम पिछड़ा वर्ग कहें क्योंकि असलियत यह है कि अभी भी पुरानी सरकार का सोच चल रहा है कि आर्थिक मापदंड रखा जाए । यह एक खतरनाक चीज़ चल रही है । हम लोग जाति-विहीन और वर्ग-विहीन समाज में विश्वास रखते हैं । हमारी व्यक्तिगत रूप से कोई जाति नही है । हमारे बाप-दादा की कोई जाति थी । अगर आर्थिक माप-दंड रखा जाए तो फिर मेरा कहना यह है कि अभी तक जो उच्च जातियों का बाहुल्य था उसको फिर दोबारा लाने के लिए यह एक साजिश होगी । आर्थिक मापदंड के बारे में मेरा कहना यह भी है कि मान लीजिए एक सम्पन्न हरिजन चमार या किसी और जाति का है । उसको गांव में जहां उच्च जाति के लोग इकट्ठा रहते हैं वहां पर मकान बनाने के लिए इजाज़त नहीं मिलती । उनको सम्मान नहीं मिलता । एक ब्राह्मण भले ही वह गरीब हो उसको समाज में सम्मान मिलता है, क्योंकि वह द्विज जाति का है । यह सब बुनियादी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । यदि हम सिर्फ आर्थिक पिछड़ेपन को आधार रखेंगे कि पिछड़ी जाति के लोग कौन हैं तो मैं फिर आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि उच्च जाति का बाहुल्य जैसे सदियों से चला आ रहा है आगे चल कर भी चलेगा । मेरा निवेदन यह है कि यह एक पार्टी का सवाल नहीं है, यह सारे राष्ट्र का सवाल है । इस विषय में हम सब को सामाजिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर चौतरफा हमला करना होगा तब हम इस देश में कोई समाजवादी समाज बना पाएंगे वरन् समाजवाद और समता का सिद्धांत खोखला रह जाएगा, उसमें कोई तथ्य नहीं होगा । जब तक हम लोग पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए कोई ठोस और समयबद्ध कार्यक्रम नहीं करेंगे । यह एक बहुत ही अहम सवाल है ।

[श्री रबी राय]

इस प्रस्ताव में ठोस आधार पर कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में चार पहिये हैं। एक तो राजनैतिक दल का नेतृत्व, दूसरा बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरियों में जैसे आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और आई० पी० एस० की नौकरियां है। तीसरी तरफ सारे व्यापारी लोग जो व्यापार चलाते हैं, मिलिटरी में जो बड़े-बड़े ओहदों पर है, ये चार मुख्य पहिए सार्वजनिक जीवन के हैं। आज पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ छोटी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही जाती है। वे कहते हैं कि छोटी नौकरियों में आरक्षण देना काफी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से यह चल पड़ा है इस तरीके से कोई पिछड़ा वर्ग यह सोच भी नहीं सकता है कि वह कभी जिंदगी में आगे आ सकता है। क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि सदियों से उनके मन में हीन भावना आ गयी है कि हम छोटे है, हम गिरे हैं हम इस लायक नहीं है। इसलिए आज सबसे पहले एक सामाजिक क्रान्ति की जरूरत है और इस क्रान्ति के साथ-साथ राज्य को भी अपने कानून और संविधान में परिवर्तन करना है। उपसभापति जी, कोई कह सकता है कि संरक्षण क्यों कहते हो, क्यों इसका प्रचार करते हो, क्यों इस चीज को फैलाते रहे हो। इस आरक्षण, संरक्षण की बात मत कहो तो मेरा कहना यह है कि जिसे आप पुरानी परम्पराओं, रूढ़ियों में परिवर्तन की बात करते है। कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में एक घण्टे में 10 चिट्ठियां लिख सकता है लेकिन अंग्रेजी में एक चिटठी लिखेगा और उसमें भी 10-20 या 50 गलतियां होंगी। हमारे यहां अंग्रेजी ही कुशलता का मापदण्ड है इस चीज का सारे दफतरों मे, संसद् में सारे देश में विस्तार है कि उससे हमें छुटकारा नहीं मिल पाता है। यह एक जबर्दस्त कांस्पिरेसी है और बिना किसी सांस्कृतिक क्रांति के समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से योग्यता का मापदण्ड रखना, सदियों से जो लोग पिछड़े हैं उनको हमेशा के लिए पिछड़े रखने का एक तरीका है। योग्यता के मापदण्ड को खामख्वाह इस तरह की संज्ञा दी जा रही है। इसलिए म यह चाहता हूं कि मैं जो प्रस्ताव पेश कर रहा हूं इस पर बहस हो कि योग्यता का मतलब क्या है? देश को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, धन सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए क्या मापदण्ड हो। इस संदर्भ में मैंने जिक्र किया था कि चारों तरफ से जाति प्रथा के ऊपर हमला करना चाहिए, सांस्कृतिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर हर स्तर पर हमला करना चाहिए। इस वक्त आप किसी क्षेत्र को ले लीजिए चाहे पब्लिक अंडरटेकिंग को ले लीजिए, चाहे निजी क्षेत्र को ले लीजिए कौन लोग बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हैं, कौन जुडीशियरी में बैठे है। मैं हर एक राज्य को जानता हूं अभी तक जुडीशियरी में पिछड़े वर्ग का कोई आदमी नहीं है। क्या पिछले 30 साल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला सिर्फ सारे के सारे द्विज जाति के मिले। यह चीज मेरे दिमाग में इसलिए आयी है कि हिन्दुस्तान तब तरक्की के रास्ते पर आ सकता है, तब समता की तरफ जा सकता है जब कि हम जाति प्रथा के ऊपर चौतरफा हमला करेंगे और पिछड़े वर्गों, हरिजनों, आदिवासियों, गिरिजनों, महिलाओं, मुसलमानों चाहे उनमें जुलाहे हों या मोमिन सभी को आगे लायेंगे। भले ही इनमें सामन्ती एकता नहीं हो। आज यू० पी० एस० सी० और सारे स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। आप जानते हैं कि भले ही सरकार ने कहा हो कि संविधान की अष्टम सूची की भाषाओं में भी परीक्षाएं ली जायंगी, मगर ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है और लगता है कि न हो पायेगा। क्योंकि इसका कारण यह है कि सामन्ती भाषा, सामन्ती भूषा, सामन्ती व्यवहार सदियों से करोड़ों लोगों के मन में हीन भावना पैदा कर गया है।

नैं इसलिये इस चीज को कह रहा हूं क्योंकि आज एक शांतिमय क्रांति की पृष्ठभूमि में जनता सरकार बनी है और काका कालेलकर समिति के सिलसिले में जनता सरकार का वायदा लोगों से है संसद् के पिछले चुनाव के बाद जो एक नया माहौल पैदा हुआ है उसमें मैने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है कि इस तरह के प्रस्ताव को संसद् के सामने प्रस्तुत करूं, राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करूं, देश के सामने प्रस्तुत करूं ताकि सारा देश इस बारे में सोचे, क्योंकि बिना कोई क्रांतिकारी परिवर्तन के यह चीज नहीं हो पाएगी। मैं जानता हूं, उत्तर भारत में खास कर उत्तर प्रदेश और बिहार में पुरानी सरकार के ज़माने में उच्च जाति के लोग मुख्य मंत्री होते थे। जनता सरकार आने के बाद पिछड़े वर्ग से मुख्य मंत्री बने हैं और मैं जानता हूं किस तरीके से उच्च जाति के लोग नाम लेकर कहते है कि यह काम नहीं कर पाएंगे मेरे मन में कोई संदेह नहीं है इस मामले में कि यह उच्च जातियों का बाहुल्य आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहा है और वे रुष्ट हो रहे है मगर जब मैं यह कहता हूं इन मुख्य मंत्रियों के काम, डेडीकेशन और ईमानदारी के बारे में मेरे मन में संदेह नही है लेकिन जो हमारे राजनैतिक "दुश्मन" हैं वे भी हमारे उस काम को मानते हैं मेरा कहना है, जब उन वर्गों को मौका दिया जाएगा तो वे लोग भी अपना करिश्मा दिखायेंगे, उन की प्रतिभा का विकास होगा जिस तरह से भूगर्भ में खनिज-पदार्थ हैं, जब हम उनको निकालेंगे तो बहुत सारे कारखाने बना सकते हैं लेकिन मनुष्य की जो प्रतिभा है मस्तिष्क की, उसका विकास करने के लिए हजारों सालों से उनको कोई मौका नहीं मिला है इसलिए मेरा कहना है कि इस प्रस्ताव के बारे में सदन में ज़बर्दस्त बहस हो और मैं चाहूंगा कि किस तरह की योग्यता का मानदंड हो मैंने कहा है कि सरकार इस तरह से संवैधानिक और प्रशासनिक परिवर्तन करे-85 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत मेरी मांग है--कि जिससे 40 प्रति शत सरकारी नौकरियों तथा अन्य जगहो में उच्च जाति के लोग प्रतियोगिता कर सकते है। इसलिए मैंने सिर्फ 60 प्रतिशत की व्यवस्था रखी ताकि कोई सीमा रहे, कोई संख्या रहे जिससे करोड़ों लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो सके कि हां आज एक नया माहौल आया है नती राजनैतिक चेतना की पृष्ठभूमि मे सारे समाज को एक साथ, सामूहिक रुप से, आगे बढ़ाने का मौका मिले।

इसलिए मैं कहूंगा, उपसभापति महोदय, कि सरकार को इसके बारे मे क्या करना है? सरकार द्वारा सिर्फ प्रशासनिक हिदायतों से, आर्डर्स है, यह काम नहीं होने वाला है इसलिए मैं प्रशासनिक उपाय के सिलसिले में कहूंगा कि पहले तो संवैधानिक परिवर्तन करना होगा क्योंकि साधारण कानून से काम नहीं चलेगा, और जब संवैधानिक परिवर्तन करके उन 60 प्रति शत लोगों को पिछड़े वर्ग में से ओहदों पर रखा जाएगा तो फिर उन करोड़ों लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा होगा। वह अभी तक मनुष्य तो हैं, इन्सान हैं, लेकिन इन्सान के हकूक नही मिले हैं। अभी उनके बारे मे कहा जाता है कि उसमें अयोग्यता है, उसमें किसी ओहदे पर बैठाने के लायक योग्यता नही है। मेरी यह कहना है कि इस प्रस्ताव के बारे में सरकार सोचे कि इस विषय मे जल्द से जल्द प्रशासनिक और संवैधानिक परिवर्तन कैसे करना है और इस बारे में ससद का काम है कि
1 P.M. सरकार को दिशा प्रदान करे। और मेरा यह एक छोटा और सीधा सा प्रस्ताव है कि देश में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को सरकार स्वरूप देने के लिये एक ठोस, समयबद्ध कार्यक्रम अपनाया जाये और उसके तहत साठ फीसदी उनकी नौकरियों में पिछड़े वर्ग, महिलाओं, हरिजनों और आदिवासियों को स्थान दिया जाये। तो यह प्रस्ताव मैं सदन

[श्री रबी राय]

1 P.M.

के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इसको मानेगी । इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

The question was proposed

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT AND OTHER BUSINESS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 24th February, 1978, allotted time as follows for Government Legislative and other Business to be taken up during the current session of the Rajya Sabha.

Business	*Time allotted*
1. Further discussion on the Motion of Thanks on the President's address.	The discussion will conclude on Monday, the 27th February, 1978, and the Prime Minister will reply at 5 P.M. on that day.
2. Consideration and passing of —	
(a) The Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill, 1977.	1 hour
(b) The Press Council Bill, 1977.	4 hours
3. Consideration and passing of the following Bills as passed by the Lok Sabha :	
(a) The Child Marriage Restraint (Amendment) Bill, 1978.	3 hours
(b) The Interest Bill, 1978	1 hour
(c) The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1978.	1 hour

The Committee also recommended that the House should sit up to 6.00 P.M. daily and beyond 6.00 P.M. as and when necessary for the transaction of Government Business.

ANNOUNCEMENT RE. RECOGNITION OF THE LEADER OF OPPOSITION

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members would recollect that the Chairman had announced that he would take a decision regarding the Leader of the Opposition today, and he has done likewise. I may inform that the Chairman has recognised Shri Bhola Paswan Shastri, Leader of the Congress Party, as the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha.

सदन की कार्रवाही ढाई बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at Thirty-one minutes past two of the clock—**The Vice-Chairman, (Shri H.M. Trivedi) in the Chair.**

STATEMENT BY PRIME MINISTER—PRIME MINISTER'S PARTICIPATION IN THE COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENT REGIONAL MEETING HELD AT SYDNEY, AUSTRALIA, ..

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI R. DESAI): Mr. Vice-Chairman, Sir, on 17th February I returned from the meeting of the Commonwealth Heads of Government of Asian and Pacific Region, which was held in Sydney for the first time. The initiative for this Conference was taken by Prime Minister Fraser of Australia at the Commonwealth